



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 आषाढ़ 1938 (श०)

(सं० पटना 560) पटना, मंगलवार, 5 जुलाई 2016

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं

5 जुलाई 2016

एस०ओ० 159, दिनांक 5 जुलाई 2016—बिहार कराधान विवाद समाधान अधिनियम, 2016 की धारा—1 की उप—धारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार—राज्यपाल ‘बिहार कराधान विवाद समाधान अधिनियम, 2016’ के प्रवर्तन अवधि को 7 जुलाई, 2016 से 6 अक्टूबर, 2016 तक(तीन माह) की अवधि हेतु विस्तारित करते हैं।

2. यह अधिसूचना तुरत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/संशोधन-08/2015-2470)]

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त—सह—प्रधान सचिव।

5 जुलाई 2016

एस०ओ० 160 एस०ओ० 159 दिनांक 5 जुलाई 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं० बिक्री-कर/संशोधन-08/2015-2471)]

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त—सह—प्रधान सचिव।

---

The 5<sup>th</sup> July 2016

S.O. 159 dated 5<sup>th</sup> July 2016— In exercise of the powers conferred by proviso to sub-section (3) of Section 1 of The Bihar Settlement of Taxation Disputes Act, 2016, the Governor of Bihar is pleased to extend the operation period of "The Bihar Settlement of Taxation Disputes Act, 2016" for the period (three months) from 7th July, 2016 to 6th October, 2016.

2. This notification shall come in to force with immediate effect.

[(File No. Bikri-kar/Sansodhan-08/2015-**2470**)]

By the order of Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

*Commissioner-cum-Principal Secretary.*

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) ५६०-५७१+१०-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>